**भारत सरकार**

**कोयला मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 1734**

**जिसका उत्तर 30 जुलाई, 2025 को दिया जाना है**

**कोयला क्षेत्र में न्यायसंगत संक्रमण सिद्धांत**

**1734. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदेः**
**डॉ. अमर सिंहः**
**श्री विजय कुमार हाँसदाकः**
**श्री प्रद्युत बोरदोलोईः**
**श्री रमासहायम रघुराम रेड्डीः**

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कोयला क्षेत्र में विशेष रूप से कोयले के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करने और प्रभावित श्रमिकों एवं समुदायों को सहायता प्रदान करने के संबंध में न्यायसंगत संक्रमण के सिद्धांतों के कार्यान्वयन की कोई समीक्षा की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में पिछले दस वर्षों के दौरान औपचारिक और वैज्ञानिक रूप से बंद की गई कोयला खदानों की संख्या कितनी है और इन मामलों में किए गए भूमि सुधार का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा पहचान की गई परित्यक्त या बंद कोयला खदानों की संख्या कितनी है और ऐसे स्थलों पर अवैध खनन और पर्यावरणीय क्षरण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है कि स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर संक्रमण के तहत कोयले पर निर्भर समुदायों को वैकल्पिक आजीविका, कौशल प्रशिक्षण और पर्याप्त मुआवजा प्रदान किया जाए; और

(ङ) न्यायसंगत संक्रमण की तैयारी के संबंध में भारत की वर्तमान वैश्विक रैंकिंग का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर प्रदर्शन में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**कोयला एवं खान मंत्री**

**(श्री जी. किशन रेड्डी)**

**(क) :** भारत वर्तमान में देश की बढ़ती हुई ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने घरेलू कोयला उत्पादन में वृद्धि कर रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, वर्ष 2030 तक कोयला उत्पादन लगभग 1,500 मिलियन टन (मि.ट.) तक होने का अनुमान है। वर्ष 2024-25 में

कोयला उत्पादन लगभग 1047.69 मि.ट. रहा है। इसके अलावा, कोयले की मांग में वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है और वर्ष 2040 के आसपास चरम पर पहुंच सकती है। अतः कोयले के चरणबद्ध तरीके से कम होने की कोई गुंजाइश नहीं है जिससे अल्प और मध्यम समय-सीमा में कोयला खनन से जुड़े कामगारों और समुदायों पर प्रभाव पड़े।

**(ख) :** पिछले दस वर्षों (24.07.2025 तक) के दौरान, सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित खान समापन के दिशानिर्देशों के अनुसार देश में 11 कोयला खानों को औपचारिक रूप से बंद कर दिया गया है। दिशा-निर्देशों के अनुसार, व्यापक भूमि पुनरूद्धार उपाय किए गए हैं, जिनमें पारिस्थितिकीय संतुलन पुनर्स्थापित करने और खनन पश्चात लाभकारी भूमि उपयोग को सक्षम बनाने के उद्देश्य से संरचनाओं को नष्ट करना, इंक्लाइन माउथ और एयर शाफ्ट को सील करना, धंसाव प्रबंधन, सबसे ऊपरी मिट्टी फैलाना, भू-दृश्यन, बैकफिलिंग, उत्खनित क्षेत्रों की ग्रेडिंग, पुनरूद्धारित भूमि पर वृक्षारोपण करने और जल निकायों का सृजन करना शामिल है।

**(ग) :** कोयला कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार कोयला कंपनियों द्वारा परित्यक्त, रद्द अथवा बंद पड़ी कुल 341 कोयला खानों को चिन्हित किया गया है। कोयले का अवैध खनन सामान्यतः परित्यक्त खानों और दूरस्थ अथवा अलग-थलग क्षेत्रों में स्थित उथली कोयला सीमों से भी किया जाता है। ऐसे कार्यकलाप मुख्य रूप से कानून व व्यवस्था से संबंधित मामले हैं तथा राज्य और जिला प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ऐसे स्थलों पर अवैध खनन को रोकने के लिए राज्य सरकारों तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के समन्वय से कोयला पीएसयूज द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं -

- भौतिक उपायः परित्यक्त अथवा रद्द की गई कोयला खानों में अनधिकृत पहुंच तथा अवैध कार्यकलापों को रोकने के लिए वास्तविक कार्रवाई की जाती हैं जिसमें खान प्रविष्टियों को सील करना तथा ऐसी खानों के मुहाने पर कंक्रीट की दीवारों का निर्माण करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, ओवरबर्डन को कार्यनीतिक रूप से आउटक्रॉप ज़ोन में डंप किया जाता है, और स्थल की सुरक्षा बढ़ाने और अवैध खनन कार्यकलापों पर रोक लगाने के लिए संवेदनशील स्थानों पर चेकपोस्ट संस्थापित किए जाते हैं।
- सुरक्षा और निगरानी: अवैध खनन को रोकने के लिए, कोयला पीएसयू ने समर्पित सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया है और राज्य अधिकारियों के साथ समन्वय करके औचक छापे और संयुक्त जांच करती हैं। सतर्कता तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए नियमित प्रशिक्षण, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, अवैध खनन कार्यकलापों की प्रभावी निगरानी और समाधान के लिए राज्य प्राधिकारियों के साथ गहन सम्पर्क बनाए रखा जाता है और बहुस्तरीय समितियां/कार्य बल गठित किए गए हैं।

- तकनीकी कार्रवाई: कोयला मंत्रालय ने अवैध खनन की घटनाओं की रिपोर्ट करने और राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा समय पर कार्रवाई की सुविधा प्रदान करने के लिए खनन प्रहरी मोबाइल ऐप और कोयला खान निगरानी और प्रबंधन प्रणाली (सीएमएसएमएस) वेब एप्लीकेशन लॉन्च किया है।

पर्यावरणीय क्षरण को रोकने के लिए, कोयला कंपनियां अनुमोदित खान समापन की योजनाओं को कार्यान्वित कर रही हैं जो क्षरण को कम करने और परित्यक्त अथवा रद्द खान स्थलों का पुनरूद्धार करने के उद्देश्य से व्यापक पर्यावरण प्रबंधन उपायों को शामिल करती हैं।

**(घ) :** उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता, तथापि, कोयला मंत्रालय द्वारा दिनांक 31.01.2025 को जारी खनन योजना और खान समापन दिशानिर्देशों के अनुसार, सामुदायिक सहभागिता, खान समापन के लिए वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाने और खनन और खान समापन की योजनाओं में शामिल करने के लिए न्यायोचित परिवर्तन के घटकों को शामिल किया गया है। कोयला और लिग्नाइट पीएसयू परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पहलों और पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आरएंडआर) कार्यक्रमों के तहत विभिन्न उपाय कर रहे हैं। इनमें कौशल विकास कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के सहयोग से खनन प्रभावित क्षेत्रों में स्वरोजगार और अवसंरचना विकास के लिए सहायता प्रदान करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, कोयला और लिग्नाइट पीएसयू ने स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका के नए अवसर पैदा करने के लिए कई पहल की हैं। इनमें इकोपार्क्स और खान पर्यटन स्थलों का विकास, सौर परियोजनाओं की स्थापना, खान वाइड्स में मत्सय पालन संबंधी कार्यकलापों का कार्यान्वयन, ओवरबर्डन से एम-सैंड उत्पादन इकाइयों की स्थापना और कोलनीर (बोतलबंद पानी) परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा, रोजगारपरकता में वृद्धि करने और संधारणीय आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खान समापन दिशा-निर्देशों और सीएसआर कार्यक्रमों के अंतर्गत आश्रित समुदायों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

**(ङ) :** उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

****